संख्या:2120/v/श0वि0/आ0-04-312(सा0)/2004

प्रेषक,

डा0 एस0एस0 सन्धू,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
उत्तरांचल, देहरादून।

आवास एवं शहरी विकास अनुभाग-1 देहरादून:: दिनांक 30 अक्टूबर, 2004

विषय: वित्तीय वर्ष 2004-05 में जनपद बागेश्वर के मुख्यालय का मास्टर प्लान बनाये जाने के संबंध में धनराशि उपलब्ध कराने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-464/नग्रानि/राज्य स0/विधान सभा प्रश्न/तकनीकी/04, दिनांक: 26 अप्रैल, 2004 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष-2004-05 में जनपद बागेश्वर के मुख्यालय का मास्टर प्लान बनाये जाने हेतु रू0 9.00लाख (रू0 नौ लाख मात्र) की धनराशि को व्यय करने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान करते हैं कि मितव्ययिता की मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जायेगा और धनराशि का आहरण एक मुश्त न करके आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण यथा आवश्यक किया जायेगा तथा कार्य नगर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग द्वारा संपादित होगा।

3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यवर्तन अन्य मदों में नहीं किया जायेगा। व्यय उन्हीं मदों के लिए किया जायेगा, जिनके लिए यह स्वीकृत किया जा रहा है।

4. उक्त धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता, जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक हो।

5. व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, स्टोर परचेज रूल्स, मितव्ययिता के विषय में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेश, टेण्डर कोटेशन विषयक नियमों एवं तद्विषयक आदेशों का अनुपालन किया जायेगा। उपकरण/फर्नीचर आदि का क्रय डी0पी0एस0 ए डी0 की दरों पर एवं उक्त दरें उपलब्ध न होने की स्थिति में टेण्डर/कोटेशन आदि विषयक नियमों का अनुपालन करते हुए किया जायेगा।

6. कम्प्यूटर का क्रय एन0आई0सी0/आई0टी0 विभाग की संस्तुति के उपरान्त ही किया जायेगा।

NIC' 646—

6. स्वीकृत की जा रही धनराशि का मदवार व्यय विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण प्रत्येक दशा में दिनांकः 31 मार्च, 2004 तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें और यदि उक्त अवधि तक कोई धनराशि प्रस्तुत न की गयी हो तो वो समस्त धनराशि दिनांकः 31मार्च, 2005 तक शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

7. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार आवश्यक मदों पर ही किया जायेगा तथा व्यय में मितव्ययिता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये समस्त शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

8. इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2004–05 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–13, लेखाशीर्षक–2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत–001–निदेशन तथा प्रशासन–08–परियोजनाओं की प्रारम्भिक तैयारियों एवं रिपोर्ट तैयार करने हेतु–16–व्यावसायिक एवं अन्य सेवाओं के लिए भुगतान के नामे डाला जायेगा।

9. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–1226/वित्त अनु0–3/2004, दिनांक 08 अक्टूबर, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे है।

भवदीय,

(डा0एस0एस0 सन्धू)
सचिव।

संख्याः 2120 (1) श0वि0–आ0–2004–तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल।
2. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तरांचल शासन।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4. निदेशक, एन0आई0सी0,उत्तरांचल सचिवालय।
4. वित्त अनुभाग–3/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तरांचल शासन।
5. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(भास्करानन्द)
अपर सचिव।